

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

करण संख्या / / 2017

दायर दि०
फैसल दि०

श्री सरपंच
ग्राम पंचायत आरा
(वादी)


अनवान
बनाम भूमिधारी (तहसीलदार)
सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री सरपंच ग्राम पंचायत आरा ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा आरा के खाता नम्बर ३९० जमाबन्दी सं० २०७३-७६
में अंकित स्वयं/पिता का नाम आयुर्वेद भवन का जोज का वज अंकित है
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम आयुर्वेद भवन
आरा ११ वर्ष जोज का है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम आवरेत

आवरेत दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम आयुर्वेद भवन ११ वर्ष श्री जोज
आवरेत होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा आरा की जमाबन्दी संवत् २०७३-७६
के खाता संख्या ३९० में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम आयुर्वेद भवन आवरेत में संशोधन कर सही नाम
आयुर्वेद भवन ११ वर्ष जोज का आवरेत दर्ज रेकार्ड किया जावे।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

